न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–39 / 2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

बालचन्द राम
बनाम्
बिनेसर राम

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया बालचन्द राम पिता–स्व0 भुखन राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1–बी) के तहत् क्रेता बिनेसर राम, पिता–स्व0 नागो राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मुरपा अंचल–बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.08 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक–523 दिनांक 20.04.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक–523 दिनांक 20.04.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा–मुरपा अंचल–बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.08 एकड़ पर विक्रता बालचन्द राम का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर स्व0 जगेसर राम के वारिसानों का दावेदारी एवं दखल है। स्थल जांच में स्व0 जगेसर राम के वारिसानों द्वारा विरोध किया गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा आवेदक को भूमि बिक्री की अनुमति नहीं देने का अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बालूमाथ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के

आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता बालचन्द राम पिता–स्व0 भुखन राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा क्रेता बिनेसर राम, पिता–स्व0 नागो राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मुरपा अंचल–बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.08 एकड़ भूमि बिक्री अनुमति हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

GS 16/6

उपायुक्त,
लातेहार।

GS 16/6

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.06.18 17:07:02 +05:30
Location: 192.168.73.92